


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रस्तावना भागो से संघ दलियान-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी निम्बाटेडा जाटान व भू अभिलेख निरीक्षक निम्बाटेडा जाटान की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम शेखेडा पटवार हल्का निम्बाटेडा जाटान तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2016-2019 में खाता संख्या 266 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1.	शेखेडा	266	सुखी पालि वरुगनाथ गुर्जर	सुखी पालि वरुगनाथ गुर्जर


 प्रस्तावना अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

क्रमांक:- न्यायालय / 2021 / 17


दिनांक:- 21/12/21

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री

PP17/2021

2021/714


 प्रस्तावना अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

